न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24 / अपील / 19	22.01.2019	09.10.2019

सैफुद्दीन बोहरा आ0 गुलाम हुसैन जाति बोहरा,
निवासी बोहरा मोहल्ला, बून्दी (राज0)

— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, बून्दी
निर्णय दिनांक 18.12.18 प्रकरण संख्या 127 / 2018

उपस्थितः—

1. अपीलांट की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार (रसद) ।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2018 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 6—ग, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल करवाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मंगवाया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सत्य प्रतिलिपि

जिला कलेक्टर; बून्दी

अति०प्रशासनिक अधिकारी

अपीलांट के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट के नाम वार्ड नं.8 प्रथम नगर परिषद बून्दी में आवश्यक वस्तु के वितरण के लिए एक प्राधिकार पत्र संख्या 932/2003 रेस्पो0 द्वारा जारी किया हुआ है। जिसकी पालना में अपीलांट नियमानुसार उचित मूल्य वस्तुऐं एवं सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को एक नोटिस प्रेषित कर उस पर राशन सामग्री गेहूॅ, चीनी, केरोसीन का अवशेष स्टॉक दुकान में नहीं मिलने, राशन सामग्री की कालाबाजारी करने एवं दुकान का संचालन उसके द्वारा नहीं करके बुरहान अली आ. जलालुद्दीन द्वारा किये जाने, उसे उपलब्ध करायी गयी पोस मशीन कोड संख्या 8305 वक्त चैकिंग मशीन चालू अवस्था में नहीं होने स्टॉक रजिस्टर मांगने पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाकर नोटिस प्रेषित किया था। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा दिये गये नोटिस का उससे 7 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा था। जिस पर अपीलांट द्वारा जिला रसद कार्यालय बून्दी में उपस्थित होकर उक्त नोटिस का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 18.12.2018 को निर्णय पारित कर अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के 'खण्ड द्वितीय का बिन्दु संख्या 6 व 7 तथा खण्ड चतुर्थ बिन्दु संख्या 20 एवं प्राधिकार पत्र संख्या 932/2003 की शर्त संख्या 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 व 17(ग)'' का उल्लंघन करना बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने एवं राशन सामग्री गेहू, चीनी, केरोसीन की वर्तमान बाजार कीमत से राशि की गणना कर उक्त राशि निर्णय दिनांक 18 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलांट की चल अचल सम्पत्ति में से वसूल कर राजकोष में जमा कराने का निर्णय पारित किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा स्वयं दुकान का संचालन किया जा रहा है। मौके पर जांच के समय भी स्वयं अपीलांट उपस्थित मिला था, जिससे साबित है कि अपीलांट ही उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा है। इतना ही नहीं जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा निर्णय में अंकित किया है कि बुरहान अली निजी कार्य से विदेश (इराक) गया हुआ है। अपीलांट पर लगाये गये उक्त आरोप के संबंध में जिला रसद अधिकारी बून्दी के पास कोई मौखिक एवं दस्तावेज सबूत नहीं होने से, इस संबंध में किसी भी राशन सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कोई शिकायत या बयान नहीं होने के उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा अपीलांट को उक्त धारा का उल्लंघन मानकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। उचित मूल्य दुकान में स्टॉक रजिस्टर, यूनिट रजिस्टर, प्राधिकार पत्र, मासिक नक्शों की प्रति इत्यादि जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने, दुकान के बाहर सूचना पट्टा व अन्य वांछित सूचनाऐं प्रदर्शित नहीं करने

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति॰ प्रशासनिक अधिकारी

का आरोप भी गलत है। पोस मशीन सिम कार्ड से नहीं बल्कि वाई फाई से संचालित होती है। पोस मशीन के गुप्त कोड संख्या होते है जिसकी जानकारी जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट से नहीं ली गई। दुकान की पोस मशीन में गेहूं 93 क्विंटल और चीनी शून्य व केरोसीन शून्य का स्टॉक दर्शाया हुआ था। वह राशन विक्रेताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खण्ड पीठ में रिट याचिका प्रस्तुत कर स्टॉक संबंधित मामलें में स्थगन प्राप्त करने से उक्त तथ्य के संबंध में अपीलांट द्वारा जांच अधिकारी को सम्पूर्ण तथ्य बताने एवं अपने जवाब के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उक्त आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। अपीलांट को पूर्व में दिनांक 05.11.2018 को नोटिस प्रेषित किया था, उसकी जवाब की अवधि 7 दिन दी थी, इससे पूर्व ही पुनः अपीलांट को दूसरा नोटिस प्रेषित कर उसके विरूद्ध दिनांक 26.10.18 को ही पुलिस थाना सिटी कोतवाली, बून्दी में एफ.आई.आर.संख्या 446/2018 से धारा 3, 7 व 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा देने उक्त प्रकरण के जैरे तफ्तीश होने के उपरांत भी अपीलांट को झूठा आरोप लगाकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी बून्दी के नोटिस का बिन्दुवार जवाब वास्तविक तथ्यों के आधार पर मय दस्तावेज दिये जाने के उपरान्त एकतरफा कार्यवाही कर नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना की है, जबकि अपीलांट ईमानदारी से उचित मूल्य सामग्री एवं वस्तुओं का वितरण करता चला आ रहा है। जिसके वितरण के संबंध में वार्ड में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.18 को निरस्त किया जाकर अपीलांट का उचित मूल्य दुकान का लाईसेन्स बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अपीलांट उचित मूल्य दुकान, वार्ड नं0 8–ा नगर परिषद बून्दी के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र संख्या 932/2003 जारी किया हुआ था। आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/18/2649–55 दिनांक 18.10.2018 द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22.10.18 को उक्त उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। जिसमें श्री सैफुद्दीन बोहरा के नाम से संचालित उक्त दुकान का संचालन पिछले 10 वर्षो से अनाधिकृत रूप से बुरहान अली आ0 जलालुद्दीन द्वारा किये जाने के तथ्य सामने आये। उक्त दुकान के संचालन के लिए सहायक के रूप में किसी व्यक्ति को अधिकृत करने हेतु अपीलांट द्वारा कोई आवेदन नहीं कर रखा था। इसके बावजूद थोक विक्रेताओं जारी उचित मूल्य दुकानदार श्री सैफुद्दीन बोहरा को आपूर्ति की गई राशन सामग्री के एवज में जारी बिलों पर प्राप्तकर्ता के कॉलम में श्री

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

सत्य प्रतिलिपि

जिला कलेक्टर; बून्दी

अति०प्रशासनिक अधिकारी

बुरहान अली के हस्ताक्षर होना अंकित पाया गया। उक्त दुकान का समस्त कार्य यथा राशन सामग्री उठाव, वितरण व थोक विकेता को रकम जमा कराने का कार्य श्री बुरहान अली द्वारा ही किया जाना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार श्री सैफुद्दीन बोहरा द्वारा मनमर्जी से अनाधिकृत रूप से श्री बुरहान अली को उचित मूल्य दुकान सबलेट कर दुकान का संचालन करने का दोषी पाया गया, जिससे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1979 के खण्ड–2 के बिन्दु संख्या 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। श्री सैफुद्दीन बोहरा द्वारा बताया गया कि स्टॉक रजिस्टर, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र, एफपीएस संबंधी समस्त दस्तावेजी रिकार्ड बुरहान अली के पास ही है तथा वह वर्तमान में निजी काम से विदेश (ईराक) में गया हुआ है। इस प्रकार जाच दल को उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराकर आदेश के खण्ड–2 के बिन्दु संख्या 5, 6, 7, 10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाये जाने के कारण उचित मूल्य दुकानदार दोषी एवं दण्ड का भागी सिद्ध हुआ है। विभागीय निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन एवं ई–एनएफएसए पात्रता की सूचियां चस्पा नहीं थी, जिससे प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रमाणित हुआ। उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण कार्य के लिये उचित मूल्य दुकानदार को पॉस मशीन कोड संख्या 8305 उपलब्ध कराई हुई थी, किन्तु पॉस मशीन वक्त जांच चालू अवस्था में नहीं होने तथा डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने के कारण दुकान में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाले राशन सामग्री स्टॉक की मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान पर वक्त जांच गेहू, चीनी एवं केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया। जिससे आदेश के खण्ड 2 के बिन्दु संख्या 6 व खण्ड–4 के बिन्दु संख्या 20 व प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 7, 10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया, जिसके लिये उचित मूल्य दुकानदार व्यक्तिशः दोषी व दण्ड का भागी है। सैफुद्दीन बोहरा प्राधिकार पत्र संख्या 932/2003 व श्री बुरहान अली द्वारा राशन सामग्री गेहू मात्रा 93.85 क्विंटल, केरोसीन मात्रा 7990.5 लीटर तथा चीनी 22.66 क्विंटल की कालाबाजारी कर खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 अन्तर्गत दण्डनीय है। जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार श्री सैफुद्दीन बोहरा द्वारा जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये है तथा राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम के तहत कालाबाजारी की गई उक्त राशन सामग्री की वर्तमान बाजार कीमत से राशि की गणना कर उक्त राशि निर्णय दिनांक से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल कर राजकोष में जमा कराने हेतु आदेश पारित किये गये है, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होना बताते हुये इसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। जिससे जाहिर आया कि श्री सैफुद्दीन बोहरा आ0 श्री गुलाम हुसैन निवासी बून्दी को जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा उचित मूल्य दुकान, वार्ड नं.8 प्रथम, नगर परिषद बून्दी के लिए प्राधिकार पत्र संख्या 932/2003 जारी किया हुआ था। जिला रसद अधिकारी बून्दी आदेश दिनांक 18.10.18 से गठित जांच दल द्वारा उचित मूल्य दुकान वार्ड नं.8–प्रथम नगर परिषद बून्दी का उक्त जांच दल द्वारा दिनांक 22.10.18 को मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। मौके पर दौराने जांच जानकारी में आया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री सैफुद्दीन बोहरा काफी वयोवृद्ध है जो स्वयं दुकान संचालन में असमर्थ है। इस हेतु उचित मूल्य दुकान का संचालन श्री बुरहान अली द्वारा किया जा रहा है। थोक विक्रेताओं जारी उचित मूल्य दुकानदार श्री सैफुद्दीन बोहरा को आपूर्ति की गई राशन सामग्री के एवज में जारी बिलों पर प्राप्तकर्ता के कॉलम में श्री बुरहान अली के हस्ताक्षर होना अंकित पाया गया। उक्त दुकान का समस्त कार्य यथा राशन सामग्री उठाव, वितरण व थोक विक्रेता को रकम जमा कराने का कार्य श्री बुरहान अली द्वारा ही किया जाना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार श्री सैफुद्दीन बोहरा द्वारा मनमर्जी से अनाधिकृत रूप से श्री बुरहान अली को उचित मूल्य दुकान सबलेट कर दुकान का संचालन करने का दोषी पाया गया, जिससे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1979 के खण्ड–2 के बिन्दु सं.7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। श्री सैफुद्दीन बोहरा द्वारा दौराने जांच स्टॉक रजिस्टर, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र, एफपीएस संबंधी दस्तावेजी रिकार्ड श्री बुरहान अली के पास होने एवं उसके तत्समय निजी काम से विदेश चले जाने से जांच दल को उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराकर आदेश के खण्ड– 2 के बिन्दु सं. 5,6,7,10 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाये जाने का उचित मूल्य दुकानदार दोषी पाया गया। उचित मूल्य दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन एवं ई–एनएफएसए पात्रता की सूचियां चस्पा नहीं होने से प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 8 व 11 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार को पॉस मशीन कोड सं.8305 उपलब्ध कराई हुई थी, किन्तु पॉस मशीन वक्त जांच चालू अवस्था में नहीं होने तथा डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराने के कारण दुकान में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाले राशन सामग्री स्टॉक की मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान पर वक्त जांच गेहू, चीनी एवं केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र सं. 932/2003 पर राशन सामग्री गेहू मात्रा 93.85 क्विंटल, केरोसीन मात्रा 7990.5 लीटर तथा चीनी 22.66 क्विंटल की कालाबाजारी कर खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 अन्तर्गत दण्डनीय है।

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

जिला कलेक्टर; बून्दी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा जारी नोटिस का अपीलांट की ओर से पेश जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्यों को असत्य प्रमाणित किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने विभागीय निर्देशों एवं नियमों को मद्देनजर रखते हुये बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी